

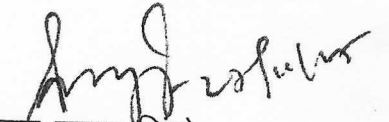
बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
कार्यालय आदेश

पत्रांक-10/अंशा०/जी०एस०टी०-16/2025-4550 पटना, दिनांक-27/11/25

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) (एतश्मिन पश्चात् "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 04 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 65 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कर आयुक्त निम्न तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की बावत स्तम्भ (4) में उल्लेखित प्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अधिनियम के धारा 65 के अधीन शक्तियाँ प्रदान करते हैं:-

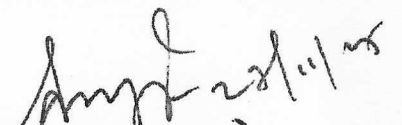
तालिका

क्रम सं०	टीम	प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रमंडलीय क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	टीम-1	कमलेश प्रकाश, राज्य कर उपायुक्त	पटना पश्चिमी प्रमंडल


(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 10/अंशा०/जी०एस०टी०-16/2025-4550 पटना, दिनांक-27/11/25

प्रतिलिपि:- राज्य कर अपर आयुक्त(प्रशासन/अपील/अंकेक्षण) पटना पश्चिमी प्रमंडल एवं संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 10/अंशा०/जी०एस०टी०-16/2025-4550 पटना, दिनांक-27/11/25

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव
बिहार, पटना।